वृहद पीठः- एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति, एस.सी. मित्तल और एस.एस. कांग, न्यायाधिपतिगण

सोम दत्त,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रत्यर्थीगण

सिविल रिट याचिका संख्या 2231 of 1983

25 नवंबर, 1983

भारत का संविधान 1950- अनुच्छेद 16- एक पद के लिए निर्धारित योग्यता- रोजगार चाहने वाले आवेदकों के पास उच्च योग्यताएँ परन्तु निर्धारित न्यूनतम नहीं- उच्च या उच्चतर योग्यताएँ का अर्थ- एक अलग क्षेत्र या शाखा में योग्यताएँ- क्या इसे श्रेष्ठ माना जा सकता है- नियोक्ता- क्या अभी भी निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं के सख्त पालन पर जोर दे सकता है- पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जे.बी.टी./डिप्लोमा को निर्धारित किया गया- आवेदक के पास शिक्षा-स्नातक की डिग्री- ऐसा आवेदक- क्या पद के लिए विचार किए जाने पर जोर दे सकता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि उच्च या उच्चतर योग्यता का अर्थ एक ऐसी योग्यता से है जिसे तुलना या मूल्यांकन के माध्यम से दावेदार के वास्तव में बुनियादी न्यूनतम योग्यता ना होने के बावज़ूद बेहतर माना जा सकता है। जहां किसी उम्मीदवार के पास निर्धारित या बुनियादी योग्यता है, वह अपात्र नहीं होगा या किसी भी तरह से केवल इस तथ्य से अयोग्य नहीं होगा कि उस योग्यता को प्राप्त करने के पश्चात्, वह बाद में उच्च या अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करता है। जाहिर है, ऐसे मामलों में, सिद्धांत कि "जो बड़ा है उसमें छोटा शामिल है और जो पूरा है उसने एक भाग शामिल है", वह लागू हो जाएगा। नतीजतन, तत्पश्चात् उच्च या उच्चतर योग्यता का अभिप्राय अनिवार्य रूप से एक अलग क्षेत्र या शाखा में एक योग्यता से है, जिसे तकनीकी रूप से बेहतर माना या समझा जा सकता है, लेकिन जहां दावेदार के पास वास्तव में बुनियादी या न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है।

(जिम्मन 5)

अभिनिर्धारित किया गया कि नियोक्ता राज्य को कानूनी रूप से उन अर्हताओं को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए जो वह विशेष पद या सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समझता है। आम तौर

पर, यह कुछ हद तक प्राथमिक लगता है कि केवल नियोक्ता को ही पता होगा कि सेवा या पद की विशेषताएँ और शर्तें क्या हैं जिनके लिए पदधारी की आवश्यकता है। इसलिए, यह होगा कि सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति की तलाश में उसके विवेकाधिकार को अपेक्षाकृत अनियंत्रित छोड़ दिया जाना चाहिए। नतीजतन, कोई भी सैद्धांतिक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि तकनीकी रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता आवश्यक रूप से उस पद की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बेहतर या अधिक लाभप्रद है जिसके लिए नियोक्ता राज्य ने कम योग्यता निर्धारित की है। जहां योग्यताएं स्वयं किसी अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, राज्य के पास यह दावा करने का अतिरिक्त आधार होगा कि कानून के साथ शाब्दिक या सख्त अनुपालन का पालन किया जाए। व्याख्या का यह एक साधारण और वास्तव में एक ठोस सिद्धांत है कि वैधानिक भाषा को जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। वैधानिक नियम के अभाव में भी शैक्षणिक योग्यता के मामले में, न्यायालय स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप करने में संकोच करेंगे, विशेष रूप से जब मामले पर ऐसा करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों द्वारा विधिवत विचार किया गया हो। इसलिए, एक बार जब वैधानिक प्रावधानों द्वारा योग्यता निर्धारित कर दी जाती है, तो उसके साथ सख्त अनुपालन की अवधारणा राज्य को इस बात पर जोर देने का अधिकार देगी कि इन्हें सावधानीपूर्वक संतुष्ट किया जाए और बाह्य विचारक जैसे कि निर्धारित योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं या तो सटीक समकक्ष हों या तकनीकी रूप से उनसे अधिक, इस मुद्दे के लिए अप्रासंगिक होंगे और वास्तव में वैधानिक भाषा के विपरीत भी हो सकते है। इसलिए यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां किसी पद के लिए योग्यताएं किसी कानून द्वारा निर्दिष्ट की गई हैं या नियोक्ता द्वारा सटीक रूप से निर्धारित की गई हैं, वहां वह उन पदों पर नियुक्ति चाहने वाले आवेदकों के पास से किसी अनिर्दिष्ट समकक्ष या उच्च शैक्षणिक योग्यता के बावजूद इसके शाब्दिक रूप से सख्त पालन पर जोर दे सकता है।

(जिम्मन 9, 10 और 15)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि जहां निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक हरियाणा शिक्षा विभाग से शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो वर्ष का जे.बी.टी../डिप्लोमा था और आवेदक के पास उक्त डिप्लोमा नहीं था और न ही शिक्षा विभाग ने उक्त डिप्लोमा के समतुल्य के रूप में किसी विश्वविद्यालय की शिक्षा-स्नातक की डिग्री को मान्यता दी थी, यह उच्च न्यायालय के लिए निर्धारित करने के लिए नहीं है कि क्या शिक्षा-स्नातक की डिग्री

जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में निर्धारित डिप्लोमा से उच्च या उच्चतर योग्यता है और यह अभिनिर्धारित करने के लिए आगे बढ़े कि आवेदक पद पर विचार करने के लिए अनिवार्य रूप से पात्र होगा।

(जिम्मन 16)

श्याम सुंदर बनाम पंजाब राज्य और अन्य। सिविल रिट याचिका संख्या 810 of 1983। 11 मार्च, 1983 को तय किया गया।

धर्म पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, सिविल रिट याचिका संख्या 1676 of 1982। 3 दिसंबर, 1982 को तय किया गया।

नरिंदर कुमार बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1981(1) S.L.R. 575.

केवल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य, 1980(3) S.L.R. 776.

OVERRULED

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.एस. कांग और माननीय न्यायमूर्ति श्री बी.एस. यादव की खंड पीठ ने मामले में शामिल कानून के एक महत्वपूर्ण प्रश्न के निर्णय के लिए मामले को 3 जून, 1983 को एक बड़ी पीठ को भेजा। माननीय मुख्य न्यायमूर्ति श्री एस.एस. संधावालिया, माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.सी. मित्तल और माननीय श्री न्यायमूर्ति एस.एस. कांग की वृहद पीठ ने 25 नवंबर, 1983 को मामले को गुण-दोष पर निर्णय के लिए एकल न्यायाधीश को लौटा दिया।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत दायर सिविल रिट याचिका में अनुरोध किया गया है किः -

(i) मामले के अभिलेख को मँगवाया जाए;

(ii) प्रत्यर्थीगण पर अग्रिम नोटिसों की तामील से छूट;

(iii) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियों को दाखिल करने से छूट;

(iv) कि जे.बी.टी. शिक्षक के पदों के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी की जाए।

(v) कि यह माननीय न्यायालय कोई भी आदेश पारित करे, जो यह माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उपयुक्त समझता है।

(vi) याचिका का खर्चा याचिकाकर्ता को दिलाया जाए।

आगे यह प्रार्थना की गई कि इस रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 2 को यह निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता के मामले का फैसला होने तक जे.बी.टी. शिक्षक के एक पद को ना भरे।

उपस्थित:- श्री आर.के. मलिक अधिवक्ता, याचिकाकर्ता की ओर से।

श्री हरभगवान सिंह, महाधिवक्ता(हरियाणा) और श्री पी.एस. दुहान, उप-महाधिवक्ता (हरियाणा) और श्री अरुण वालिया अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण की ओर से।

निर्णय

एस.एस. संधावालिया, मुख्य न्यायाधिपति

(1) जहां किसी पद के लिए योग्यताओं का वर्णन किसी कानून द्वारा किया गया है, या नियोक्ता-राज्य द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया गया है, क्या वह उक्त पद पर नियुक्ति चाहने वाले आवेदकों के पास से किसी अनिर्दिष्ट समकक्ष या उच्च शैक्षणिक योग्यता के बावजूद इसके शाब्दिक पालन पर जोर दे सकता है? वृहद् पीठ द्वारा आधिकारिक निर्णय के लिए निर्दिष्ट पाँच याचिकाओं के इस समूह में यह सामान्य मूल प्रश्न है।

2. कुछ समान तथ्यों का आधार सिविल रिट याचिका संख्या 2231 of 1983 (सोम दत्त बनाम हरियाणा राज्य) से लिया जा सकता है। उसमें याचिकाकर्ता ने आगरा विश्वविद्यालय से एम.ए. की डिग्री प्राप्त की और बाद में कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से शिक्षा-स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की। प्रत्यर्थी संख्या 2 स्कूल शिक्षा निदेशक, हरियाणा द्वारा जे.बी.टी. शिक्षकों के 1679 पदों के लिए किए गए विज्ञापन के जवाब में,

उसने वहां नियुक्ति के लिए आवेदन किया। यह स्वीकृत है, उक्त पद के लिए निर्धारित योग्यताएं इस प्रकार थी:-

"(i) मैट्रिक (पूर्ण) एक विषय के रूप में अंग्रेजी के साथ,

(ii) हरियाणा शिक्षा विभाग से शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में दो वर्षीय जे.बी.टी./ डिप्लोमा में उत्तीर्ण या हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।

याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2 से पत्र प्राप्त हुआ कि क्योंकि उसके पास पद के लिए उपर्युक्त न्यूनतम निर्धारित योग्यताएं नहीं थीं, इसलिए उसका आवेदन अस्वीकार किया जाना था, लेकिन यदि उसे इसके संबंध में कोई शिकायत है, तो वह चयन समिति के समक्ष उपस्थित हो सकता है। नतीजतन, रिट याचिकाकर्ता 30 जुलाई, 1982 को चयन समिति के समक्ष पेश हुआ और दावा किया कि उसके पास निर्धारित योग्यताओं से अधिक योग्यताएं हैं और इसलिए उसे योग्य माना जाना चाहिए और उसे विचार से बाहर नहीं किया जा सकता है। चयन समिति द्वारा याचिकाकर्ता का साक्षात्कार लिया गया था, लेकिन बाद में सूचित किया गया था कि उसके मामले पर विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसके पास हरियाणा शिक्षा विभाग से दो वर्ष की जे.बी.टी.डिप्लोमा की न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है। याचिकाकर्ता की प्राथमिक शिकायत यह है कि हालांकि उसके पास वस्तुतः दो वर्ष की जे.बी.टी. डिप्लोमा की निर्धारित योग्यता नहीं थी, फिर भी उसके पास शिक्षा-स्नातक की डिग्री थी, और इस प्रकार वास्तव में निर्धारित योग्यताओं की तुलना में उच्च योग्यताएं थीं, और उसके दावे को कानून की नजर में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है।

3. प्रत्यर्थीगण की ओर से लिया गया दृढ़ तर्क यह है कि कथित रूप से शिक्षा-स्नातक की उच्च योग्यता का कोई महत्व नहीं है क्योंकि जे.बी.टी. के पाठ्यक्रम भिन्न होते हैं और भिन्न अवधि के होते हैं और इसलिए, शिक्षा-स्नातक की योग्यता याचिकाकर्ता को जे.बी.टी. के पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं बनाएगा, जो कि निम्न प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए है। यह तर्क दिया गया कि ऐसे शिक्षक के पद के लिए जे.बी.टी. डिप्लोमा एक पूर्व-आवश्यकता है। यह तर्क दिया गया कि जे.बी.टी. एक

व्यावसायिक प्रशिक्षण है जो मैट्रिक या उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद किया जाता है और इसकी अवधि दो साल की होती है और प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षण के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है जबकि B.A., B.Ed. स्नातक होने के बाद एक वर्ष की अवधि का प्रशिक्षण होता है और यह सामान्य प्रकृति का होता है। जे.बी.टी. प्रशिक्षण के लिए पाठ्यक्रम विशेष रूप से प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने पर केंद्रित है और छोटे बच्चों की जरूरतों के अनुरूप है। शिक्षा-स्नातक प्रशिक्षण में, वही उच्च माध्यमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है और बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई विशेष प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। जे.बी.टी. प्रशिक्षण में प्राथमिक मनोविज्ञान शिक्षण के प्रावधान हैं, जो प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक है, जबकि शिक्षा-स्नातक के मामले में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। संक्षेप में, दृढ़ स्थिति यह है कि यह प्रत्यर्थी-राज्य पर है कि वह निर्धारित विशेष योग्यताओं पर जोर दे और वह उच्च योग्यता या समकक्ष योग्यता वाले व्यक्तियों पर विचार करने के लिए बाध्य नहीं है जब तक कि उसे पहले से ही विशेष रूप से मान्यता प्राप्त न हो।

4, प्रत्यर्थीगण को नोटिस के पश्चात् प्रस्ताव स्तर पर ही, न्यायिक नज़ीर के टकराव को पीठ के ध्यान में लाया गया था और यह देखा गया था कि इसे केवल एक बड़ी पीठ द्वारा हल किया जा सकता है और इस तरह मामला अब हमारे सामने है।

5. संपूर्ण होने का नाटक किए बिना, प्रारंभ में प्रस्तुत किया गया प्रश्न कम से कम दो अलग-अलग, हालांकि कुछ हद तक समान स्थितियों में उत्पन्न होगाः-

(i) जहां पद के लिए न्यूनतम योग्यताएं, संदर्भों में, कानून के बल वाले वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित की गई हैं; और

(ii) जहां कोई बाध्यकारी प्रावधान योग्यताओं को नियंत्रित नहीं करते हैं, लेकिन वे नियोक्ता राज्य द्वारा आवेदन आमंत्रित करने के लिए सटीक रूप से निर्धारित की गई हैं या स्पष्ट रूप से विज्ञापित की गई हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ अंतर को छोड़कर, जिन्हें बाद में विस्तार से देखा जाएगा, दोनों स्थितियों पर कुछ समान कानूनी विचार लागू होंगे। हालांकि, मामले पर विचार करने के लिए सीधे रास्ता साफ करने के लिए, शब्दावलीगत सटीकता के उद्देश्यों के लिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि पद के लिए निर्धारित न्यूनतम से उच्च या उच्चतर योग्यता द्वारा क्या इंगित किया गया है। यह इंगित करने योग्य है कि यहाँ उच्च या उच्चतर योग्यता का अर्थ एक ऐसी योग्यता होगी जिसे तुलना या मूल्यांकन के रूप में दावेदार का कठोरता से बुनियादी न्यूनतम योग्यता ना होने के बावज़ूद भी बेहतर माना जा सकता है। यह प्राथमिक प्रतीत होता है लेकिन फिर भी प्रकाश के योग्य है कि जहां एक उम्मीदवार के पास निर्धारित या बुनियादी योग्यता है, वह अपात्र नहीं होगा या किसी भी तरह से केवल इस तथ्य से अयोग्य नहीं होगा कि उसे प्राप्त करने के बाद, वह बाद में उच्च या अतिरिक्त योग्यता प्राप्त करता है। इसे चित्रण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार, यदि न्यूनतम निर्धारित योग्यता बैचलर ऑफ़ आर्ट्स है और एक दावेदार उक्त योग्यता को पूरा करता है, लेकिन उसके बाद अपनी मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री या डॉक्टरेट भी प्राप्त कर चुका है, तो वह अपात्र या अयोग्य नहीं होगा। इसलिए, ऐसे मामले में, यह तय करने का सवाल नहीं उठता है कि क्या दावेदार के पास उच्च योग्यता है। इसी तरह, यदि द्वितीय श्रेणी में डिग्री को किसी पद के लिए न्यूनतम योग्यता के रूप में निर्धारित किया जाता है, तो प्रथम श्रेणी में डिग्री प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अयोग्य नहीं माना जा सकता है क्योंकि ऐसे उम्मीदवार को द्वितीय श्रेणी उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक अंक प्राप्त करने के अलावा बड़ी संख्या में अंक प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। जाहिर है, ऐसे मामलों में, सिद्धांत कि "जो बड़ा है उसमें छोटा शामिल है और जो पूरा है उसने एक भाग शामिल है", वह लागू हो जाएगा नतीजतन, इसके बाद उच्च या उच्चतर योग्यता, जब संदर्भित की जाएँगी, तो अनिवार्य रूप से एक अलग क्षेत्र या शाखा में एक योग्यता का संकेत देंगी जिसे तकनीकी रूप से बेहतर माना या समझा जा सकता है, लेकिन जहां दावेदार के पास सख्ती से बुनियादी या न्यूनतम निर्धारित योग्यता नहीं है।

6. समान रूप से, यह ध्यान देने योग्य है कि योग्यता निर्धारित करते समय यह भी निर्धारित किया जाता है कि समकक्ष मान्यता प्राप्त योग्यताएं भी अनुमत होंगी। वास्तव में, यहाँ भी यही स्थिति है जहाँ

यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समतुल्य योग्यता को हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त होनी चाहिए। ऐसे मामलों में, विधिवत मान्यता प्राप्त योग्यता भी वस्तुतः निर्धारित योग्यता बन जाती है। हालाँकि, सार यह है कि ऐसा करने के लिए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मान्यता का तथ्य है। नतीजतन, जब समकक्ष योग्यता के लिए संदर्भ दिया जाता है, तो यह आवश्यक रूप से एक ऐसी योग्यता को दर्शाता है जिसे समकक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी गई है। यह स्पष्टीकरण, बहुत हद तक, बाद की चर्चा को देखते हुए कुछ आवश्यक लगता है।

7. अब सिविल रिट याचिका संख्या 2231 of 1983 के वर्तमान मामले में (सोम दत्त बनाम हरियाणा राज्य और अन्य) उदाहरण के लिए, प्रतिद्वंद्वी शैक्षणिक योग्यताएँ एक ओर हरियाणा शिक्षा विभाग से शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जूनियर बेसिक ट्रेनिंग या डिप्लोमा और दूसरी ओर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा-स्नातक डिग्री हैं। ठोस शब्दों में, इसलिए, सवाल यह है कि क्या शिक्षा-स्नातक की डिग्री रखने वाला व्यक्ति उस पद के लिए रोजगार के लिए पात्रता का दावा कर सकता है जिसके लिए निर्धारित योग्यता शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में जूनियर बेसिक टीचर या डिप्लोमा है। रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से मुख्य तर्क यह है कि, संक्षेप में, शिक्षा-स्नातक की डिग्री एक उच्च और एक बेहतर शैक्षणिक योग्यता है, कुछ हद तक एक ही श्रेणी में है और इसलिए, उन्हें केवल इस आधार पर पात्रता और विचार से वंचित नहीं किया जा सकता है कि उनके पास जूनियर बेसिक ट्रेनिंग का डिप्लोमा नहीं है।

8. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी-राज्य का विशिष्ट तर्क यह है कि नियोक्ता सेवा या पद की आवश्यकताओं का एकमात्र न्यायाधीश है और संभवतः कानून द्वारा निर्धारित या राज्य द्वारा स्पष्ट रूप से निर्धारित योग्यताओं का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता या अन्यथा हो सकता है। यह मामला है कि अकेले नियोक्ता-राज्य ही यह निर्धारित करने के लिए सक्षम है कि क्या किसी निश्चित योग्यता को या तो समकक्ष माना जाना चाहिए या उसके लिए समानता दी जानी चाहिए और यह किसी अन्य निकाय के लिए निर्धारित करने का बोझिल और वस्तुतः असहनीय कार्य है कि क्या कोई विशेष योग्यता

निर्धारित योग्यता के सटीक समकक्ष है या क्या इसे प्रकृति में श्रेष्ठ माना जाना चाहिए, ताकि निर्धारित योग्यता ना रखने वाले व्यक्तियों को फिर भी पद के लिए विचार में लिया जाए।

9. मैं इस दृष्टिकोण को लेने के लिए इच्छुक हूं कि मोटे तौर पर प्रत्यर्थी-राज्य की ओर से लिया गया तर्क योग्यता से रहित नहीं है और वास्तव में प्रशंसनीय है। ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए कई प्रकार के कारण प्रतीत होते हैं कि नियोक्ता-राज्य को कानूनी रूप से उन योग्यताओं को निर्धारित करने का अधिकार होना चाहिए जिन्हें वह विशेष पद या सेवा की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप आवश्यक समझता है। आम तौर पर, यह कुछ हद तक प्राथमिक लगता है कि केवल नियोक्ता को ही पता होगा कि सेवा या पद की विशेषताएँ और शर्तें क्या हैं जिनके लिए पदधारी की आवश्यकता है। इसलिए, यह होगा कि सही नौकरी के लिए सही व्यक्ति की तलाश में राज्य के विवेकाधिकार को अपेक्षाकृत अनियंत्रित छोड़ दिया जाना चाहिए। नतीजतन, कोई भी सैद्धांतिक नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि तकनीकी रूप से उच्च शैक्षिक योग्यता अनिवार्य रूप से उस पद की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए बेहतर या अधिक लाभप्रद है जिसके लिए नियोक्ता-राज्य ने निम्न योग्यताएँ निर्धारित करी हैं। विद्वान महाधिवक्ता ने तर्क दिया कि सबसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से भी साहित्य की डॉक्टरेट, हालांकि निस्संदेह एक उच्च शैक्षिक योग्यता, न केवल अप्रासंगिक हो सकती है, अपितु एक ऐसे शिक्षक के लिए प्रतिकूल साबित हो सकती है जिसे स्कूलों में प्राथमिक या किंडर गार्टन स्तर में पढ़ाना पड़ता है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में यह प्रस्तुत किया गया था, और हमारे विचार में सही है कि उत्कृष्ट रूप से उच्च योग्य व्यक्तियों को अपने शैक्षणिक रैंक से नीचे के पद पर रहने के लिए आवश्यक नौकरी संतुष्टि या प्रेरणा नहीं हो सकती है, हालांकि कुछ समय के लिए परिस्थितियां उन्हें ऐसी नौकरी स्वीकार करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। प्रत्यर्थी-राज्य, योग्यताओं के अलावा, सेवा के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, ऐसे व्यक्तियों को पद पर रख सकता है जो उसे महत्व देते हैं और उनके पास पद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त नौकरी की संतुष्टि भी होगी। विभिन्न प्रशासनिक आवश्यकताओं और अन्य व्यावहारिक विचारों पर विस्तार करना अनावश्यक लगता है जो अनिवार्य रूप से किसी विशेष पद या

सेवा के लिए सामान्य रूप से न्यूनतम योग्यता निर्धारित करते समय नियोक्ता-राज्य के समक्ष मूल्यांकन के लिए आएंगे।

10. अब जो ऊपर कहा गया है वह समान रूप से और वास्तव में अधिक बल के साथ लागू होगा जहां योग्यताएं एक अधिनियम द्वारा या उसके तहत बनाए गए वैधानिक नियमों द्वारा निर्धारित की गई हैं। ऐसी स्थिति में, प्रत्यर्थी-राज्य के पास यह दावा करने का अतिरिक्त आधार होगा कि क़ानून के शाब्दिक या सख्त अनुपालन का पालन किया जाए। यह व्याख्या का एक साधारण और वास्तव में मूल सिद्धांत है कि आम तौर पर किसी वैधानिक भाषा को जोड़ना या घटाना नहीं चाहिए। उसके अधीन नियम बनाने में विधायिका और उनके प्रतिनिधियों दोनों के विवेक या नीति (जो उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य बनाम बाबू राम उपाध्याय[1] के निर्णय अनुसार अधिनियम का ही हिस्सा बन जाते हैं) पर आसानी से सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए और इसे ओवरराइड नहीं किया जाना चाहिए और इसलिए, न्यायालय के लिए कुछ हद तक इस संवेदनशील क्षेत्र में घुसपैठ नहीं करना चाहिए। बनारसी दास और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य[2] में यह स्वयंसिद्ध अभिनिर्धारित किया गया था कि यह स्पष्ट है कि सरकार नई भर्तियों के लिए कुछ योग्यता निर्धारित करने के अपने अधिकारों के भीतर है, और फिर से मैसूर विश्वविद्यालय बनाम सी. डी. गोविंदा राव और अन्य[3] में न्यायाधिपतिगण ने वैधानिक नियमों के अभाव में भी कहा था कि शैक्षणिक योग्यता के पहलू पर, न्यायालये स्वाभाविक रूप से हस्तक्षेप करने में संकोच करेंगी, विशेष रूप से जब मामले पर विधिवत विचार किया गया है। इसलिए, एक बार जब वैधानिक प्रावधानों को बाध्य करके योग्यताएं निर्धारित कर दी जाती हैं, तो उसके साथ सख्त अनुपालन की अवधारणा राज्य को इस बात पर जोर देने का अधिकार देगी कि इन्हें सावधानीपूर्वक संतुष्ट किया जाए और निर्धारित योग्यताओं के अलावा अन्य योग्यताएं जैसे कि या तो

[1] A.I.R. 1961 S.C. 75
[2] 1956 S.C.R. 357
[3] A.I.R. 1965 S.C. 491

सटीक समकक्ष, या तकनीकी रूप से उनसे अधिक, मुद्दे के लिए अप्रासंगिक होंगी और वास्तव में वैधानिक निर्धारित योग्यताओं के विपरीत भी हो सकती हैं।

11. हम जिस दृष्टिकोण को अपनाने के लिए इच्छुक हैं, उसे कर्नाटक लोक सेवा आयोग ज़रिए अध्यक्ष बैंगलोर और अन्य बनाम एन.सी. हुगर[4] में वृहद् पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियों से व्यापक समर्थन प्राप्त होता हैः-

> "--------योग्यता निर्धारित करने की शक्ति नियम बनाने वाले प्राधिकारी के पास है, यदि 'बी' को पद के लिए आवश्यक योग्यताओं के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है, तो उक्त योग्यता को ध्यान में नहीं रखा जा सकता है। अन्यथा अभिनिर्धारित करने से असंख्य समस्याएं और कठिनाइयाँ पैदा होंगी। किसी विशेष विषय के संबंध में, राज्य, भारत और दुनिया के कई हिस्सों में कई संस्थानों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है और योग्यताएं प्रदान की जा सकती हैं। यदि दुनिया के विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की गई विभिन्न योग्यताओं वाले व्यक्ति लोक सेवा आयोग के समक्ष आते हैं और दावा करते हैं कि उनके पास जो योग्यताएं हैं, हालांकि वे स्पष्ट रूप से निर्धारित योग्यताएं नहीं हैं, वे निर्धारित योग्यताओं से अधिक हैं, तो क्या यह कहा जा सकता है कि लोक सेवा आयोग से, विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान पाठ्यक्रम और योग्यताओं की प्रकृति के बारे में जांच करने की अपेक्षा की जाती है। यह एक कठिन और जटिल प्रक्रिया है जिसमें बहुत अधिक समय लगना तय है। वस्तुओं की प्रकृति में इस कार्य को लोक सेवा आयोग द्वारा संतोषजनक रूप से निष्पादित नहीं किया जा सकता है, जिसका कर्तव्य आवेदन की जांच करना और समय की अनुचित बर्बादी के बिना उम्मीदवारों को साक्षात्कार या लिखित परीक्षा के लिए अधिसूचित करने के अगले चरण में आगे बढ़ना है। यह निर्धारित करने का कार्य कि क्या कोई विशेष योग्यता निर्धारित योग्यता से अधिक है, आसान नहीं है। कोई भी व्यक्ति केवल योग्यता के नाम या विवरण से नहीं अनुमान लगा सकता है। यह मान लेना सही नहीं है कि डिग्री, डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों से अधिक हैं क्योंकि यह सर्वविदित है

[4] 1981(1) S.L.R. 469

कि कुछ संस्थानों द्वारा प्रदान किए गए डिप्लोमा या प्रमाणपत्रों को अन्य संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्री की तुलना में शैक्षणिक दुनिया में उच्च दर्जा प्राप्त है। विभिन्न संस्थानों द्वारा प्रदान की जाने वाली डिग्रियों में भी एकरूपता नहीं हो सकती है। चूंकि योग्यताएं विशेष पद की जरूरतों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की गई हैं, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि संबंधित पद की आवश्यकताओं के दृष्टिकोण से एक उच्च शैक्षणिक योग्यता आवश्यक रूप से एक उच्च योग्यता है।"

मैं उपर्युक्त टिप्पणियों से सहमत होने के लिए इच्छुक हूं और ऐसा लगता है कि यह उचित रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया जाना कि क्या कोई विशेष योग्यता एक सटीक समकक्ष है या निर्धारित योग्यता से अधिक या श्रेष्ठ है, कठिनाइयों का एक पिंडारा खोले देगी जिस पर ढक्कन को आसानी से बदला नहीं जा सकता है।

12. उपर्युक्त प्रकाश में, हस्तगत मामला वास्तव में उन कुछ विसंगत परिणामों का उदाहरण है जो इस संवेदनशील क्षेत्र में न्यायालयों के हस्तक्षेप से उत्पन्न हो सकते हैं। उन शिक्षकों के संबंध में, जिन्हें राज्य भर्ती करना चाहता है, प्रत्यर्थी-राज्य की विशिष्ट आवश्यकताओं को उजागर करने के लिए, और दोनों के बीच समान रूप से महत्वपूर्ण अंतर, और एक ओर शिक्षा-स्नातक की डिग्री और दूसरी ओर जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में डिप्लोमा के बीच समान रूप से अंतर दर्शाने के लिए, विद्वान महाधिवक्ता ने बलपूर्वक इंगित किया कि वे विशेष आवश्यकताओं से कैसे मेल खाते हैं या उनके अनुरूप हैं। यह सबसे पहले इंगित किया गया कि राज्य प्राथमिक और अपेक्षाकृत कनिष्ठ कक्षाओं के लिए शिक्षकों की तलाश कर रहा है। योग्यताएँ उस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाती हैं और पद की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप होती हैं। तकनीकी रूप से उच्च योग्यता, उच्च स्तरीय और बेहतर हो सकती है, परन्तु वास्तविक व्यवहार में यह पूर्ण रूप से व्यर्थ और वास्तव में प्रतिकूल हो सकती है जब बुनियादी प्राथमिक स्तर पर या ग्रामीण स्कूलों में किंडर गार्टन स्तर पर शिक्षण की बात आती है। शिक्षा-स्नातक की डिग्री और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में दो वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में पाठ्यक्रम और

प्रशिक्षण की प्रकृति के बीच तथ्यात्मक अंतर को सारणीबद्ध करके और एक दूसरे के विरुद्ध जोड़कर सबसे अच्छी तरह से उजागर किया गया हैः –

शिक्षा-स्नातक डिग्री	**जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में डिप्लोमा।**
1. बुनियादी योग्यता स्नातक है और प्रशिक्षण को मुख्य रूप से नौवीं कक्षा के पश्चात् उच्च विद्यालय में पढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है।	1. बुनियादी योग्यता मैट्रिक या स्नातक से नीचे है और प्रशिक्षण को विद्यालय में प्राथमिक कक्षाओं केवल I से V तक पढ़ाने के लिए निर्देशित किया जाता है।
2. एक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण सामान्य रूप से है।	2. शिक्षण में प्रशिक्षण विशेष रूप से है।
3. शिक्षा-स्नातक की डिग्री का पाठ्यक्रम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में डिप्लोमा से काफी भिन्न है।	3. जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम शिक्षा-स्नातक की डिग्री के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम से काफी भिन्न है।
4. प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष है।	4. प्रशिक्षण की अवधि दो वर्ष है।

शिक्षा-स्नातक की डिग्री और जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में डिप्लोमा के बीच पूर्व में देखा गया महत्वपूर्ण अंतर इस तथ्य को उजागर करेगा कि भले ही एक शैक्षिक योग्यता अधिक हो सकती है, यह आवश्यक रूप से पद की आवश्यकताओं के अनुकूल या विशेष रूप से अनुरूप नहीं हो सकता है। जैसा कि वर्तमान मामले में जहां प्राथमिक कक्षाओं को पढ़ाने के लिए या यहां तक कि उसके निचले स्तरों पर भी शिक्षकों की भर्ती की जा रही है, शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में कनिष्ठ बुनियादी प्रशिक्षण या डिप्लोमा की

निर्धारित योग्यताओं की शाब्दिक संतुष्टि पर इसका आग्रह स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से योग्य प्रतीत होता है।

13. हालाँकि, इस तथ्य को कहने का कोई लाभ नहीं है कि न्यायालय के भीतर एक स्पष्ट विसंगति रही है जिसने वास्तव में इस संदर्भ को आवश्यक बना दिया है। इसके विपरीत दृष्टिकोण रखने वाले प्रत्येक निर्णय को विस्तार से देखना अनावश्यक होगा और श्याम सुंदर बनाम पंजाब राज्य और अन्य[5] में खण्ड पीठ के निर्णय को देखना पर्याप्त है। यद्यपि उसमें दिया गया निर्णय तर्कपूर्ण है, फिर भी इसे प्रस्ताव स्तर पर दर्ज किया गया था (यद्यपि प्रत्यर्थीगण को सूचना दिए जाने के पश्चात्) और इसके संदर्भ से यह संकेत मिलता है कि मुद्दों को प्रत्येक कोण से पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया था। ओरिएंटल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा और शिक्षा शास्त्री की डिग्री के बीच संघर्ष था। प्रशिक्षण के इन विभिन्न समूहों की विशिष्ट प्रकृति, एक विशेष रूप से भाषाओं के लिए निर्देशित किया जा रहा है और दूसरा एक सामान्य पाठ्यक्रम है, साथ ही निम्न और उच्च वर्गों को पढ़ाने की आवश्यकताओं को भी पीठ के ध्यान में नहीं लाया गया था। टिप्पणी के तौर पर, यह देखा गया कि डिग्री पाठ्यक्रम की अवधि डिप्लोमा की अवधि से अधिक थी। तब यह माना गया था कि शिक्षा शास्त्री पाठ्यक्रम एक डिग्री होने के कारण अनिवार्य रूप से डिप्लोमा की तुलना में एक उच्च योग्यता थी। यह आवश्यक रूप से ऐसा नहीं है और किसी भी तरह से निर्णायक नहीं हो सकता है, जैसा कि कर्नाटक लोक सेवा आयोग ज़रिए अध्यक्ष बैंगलोर और अन्य(उपर्युक्त) के मामले में पूर्ण पीठ की पूर्व-उद्धृत टिप्पणियों से स्पष्ट है।वैधानिक योग्यताओं का पालन किए जाने का बड़ा सवाल, व्याख्या का एक मामला है और न्यायालय के लिए यह असंभव नहीं तो कठिनाईपूर्ण, विभिन्न शैक्षणिक डिग्रियों के समतुल्य का निर्धारण करना या यह तय करना कि क्या एक तकनीकी रूप से दूसरे से उच्च या श्रेष्ठ है, पर विचार नहीं किया गया। उस निर्धारित योग्यता को विशेष रूप से एक पद के अनुरूप बनाया जा सकता है, इस पर पीठ के समक्ष प्रकाश नहीं डाला गया था। कर्नाटक लोक सेवा आयोग ज़रिए अध्यक्ष बैंगलोर और अन्य(उपर्युक्त) के मामले में

[5] C.W. 810/83 decided on 11-3-83

पूर्ण पीठ के विचार को समान रूप से खंड पीठ के संज्ञान में नहीं लाया गया था। नरिंदर कुमार, हिंदी शिक्षक बनाम पंजाब राज्य और अन्य[6] और धरम पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य[7] के मामलों में एकल पीठ के कुछ संक्षिप्त पूर्व निर्णयों का संदर्भ और निर्भरता दी गई थी। जिसमें मामले पर उसके विभिन्न पहलुओं से विचार नहीं किया गया था, जिनकी चर्चा इस निर्णय के पूर्व भाग में की गई है। इन सभी कारणों से और बड़ी विनम्रता के साथ, मैं यह विचार रखने के लिए इच्छुक हूं कि श्याम सुंदर(उपर्युक्त) के मामले का सही ढंग से निर्णय नहीं लिया गया है और इसके द्वारा उसे खारिज कर दिया जाता है।

14. एक आवश्यक परिणाम के रूप में और कुछ इसी तरह के कारणों से, धरम पाल और अन्य (उपर्युक्त), नरिंदर कुमार (उपर्युक्त) और केवल सिंह बनाम पंजाब राज्य और अन्य[8] के मामले, सही कानून नहीं हैं और इसलिए उन्हें सम्मान के साथ इसके द्वारा अपास्त कर दिया जाता है।

15. निष्कर्ष के लिए, प्रारंभ में प्रस्तुत प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में प्रस्तुत किया जाता है और यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां क़ानून द्वारा एक पद के लिए योग्यताओं को बताया जाता है, या नियोक्ता-राज्य द्वारा सटीक रूप से निर्धारित किया गया है, तो वह उन पदों पर नियुक्तियों की मांग करने वाले आवेदक के पास अनिर्दिष्ट समकक्ष या उच्च अकादमिक योग्यता होने के बावजूद भी इसके शाब्दिक पालन पर जोर दे सकता है।

16. अब उपर्युक्त को लागू करते हुए, सोम दत्त(उपर्युक्त) के मामले में सामान्य आधार यह है कि निर्धारित न्यूनतम योग्यता में से एक- हरियाणा शिक्षा विभाग से दो वर्षीय जे.बी.टी./शिक्षा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा था। यह स्वीकृत तथ्य है कि रिट याचिकाकर्ता के पास उक्त डिप्लोमा नहीं था। इसी तरह, हरियाणा शिक्षा विभाग ने कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की शिक्षा-स्नातक की डिग्री को उक्त डिप्लोमा के समकक्ष के रूप में मान्यता नहीं दी है। इस संदर्भ में, यह इस न्यायालय के लिए नहीं है कि

---

[6] 1981(1) S.L.R. 575
[7] C.W. 1676/82 decided on 3-12-82
[8] 1980(3) S.L.R. 776

वह यह निर्धारित करने की गुंजाइश में प्रवेश करे कि क्या शिक्षा-स्नातक की डिग्री जूनियर बेसिक ट्रेनिंग में निर्धारित डिप्लोमा से उच्च या उच्चतर योग्यता है और इस आधार पर यह तय करे कि रिट याचिकाकर्ता प्रश्नगत पद पर विचार के लिए अनिवार्य रूप से पात्र होगा। अनिवार्य रूप से, यह अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि हमारे समक्ष उठाए गए प्राथमिक और वास्तव में एकमात्र आधार में कोई दम नहीं है और इस रिट याचिका को परिणामस्वरूप खारिज कर दिया जाता है और पक्षकारों को अपना खर्चा स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

17. संबंधित रिट याचिकाओं में, यह हो सकता है कि उपर्युक्त तय किए गए प्रश्नों के अतिरिक्त अन्य प्रश्न उत्पन्न होते हों। नतीजतन, कानूनी प्रश्न को उपर्युक्त अनुसार अभिनिर्धारित करते हुए, हम निर्देश देते हैं कि इन याचिकाओं को अभिनिर्धारित कानून के अनुसार गुण-दोष पर निर्णय के लिए विद्वान एकल न्यायाधिपति के समक्ष रखा जाए।

एस.सी. मित्तल, न्यायाधिपति- मैं सहमत हूँ।

एस.एस. कांग, न्यायाधिपति- मैं भी सहमत हूँ।

अस्वीकरण :-

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय याचिकाकर्ता के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

ऋषभ अग्रवाल
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, हरियाणा।
UID NO.:- HR0675